RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No.MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३१] गुरुवार, ऑक्टोबर ५, २०१७/आश्विन १३, शके १९३९ [पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३१ अगस्त,२०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १७, सन् २०१७।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ९।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन, (विकास तथा विनियमन)। (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे, " उक्त अध्यादेश " कहा गया हैं) १३ जून, २०१७ को प्रख्यापित किया था;

और क्योंकि २४ जुलै २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि.स.विधेयक क्र. ४१ सन् २०१७), ८ अगस्त, २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ११ अगस्त, २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् ३ सितंबर २०१७ को प्रवृत्त होने से परिविरत होगा;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखाना इष्टकर समझा गया है;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश, प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१७ कहलाए ।

(२) यह १३ जून, २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया हैं) की धारा २ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (द१) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६४ का महा.२०।

" (द२) " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३गख के अधीन गठित, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, से हैं ; " । सन् १९६१ का महा. २४।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १३ की,—

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय से विनिर्दिष्ट दिनांक पर ईक्कीस वर्ष की आयु से कम न हो " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा, यदि आवश्यक हो, कलकटर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार की सहायता से, विनिर्दिष्ट दिनांक पर इक्कीस वर्ष की आयु से कम न हो " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खण्ड (एक) और उसके परंतुक के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) बाजार क्षेत्र में रहनेवाले अर्ह मतदाताओं (कृषक जो न्यूनतम दस आर भूमि धारण करता हो और जो राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक पर इक्कीस वर्ष की आयु से कम न हो और जिसने निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से पूर्व पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में कम से कम तीन बार संबंधित बाजार समिति में अपनी कृषि उपज विक्रय की हो) जिसे पंद्रह सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा (जिनमें से, दो महिलाएँ होंगी, एक अन्य पिछडे वर्गों का व्यक्ति होगा, एक निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति का व्यक्ति होगा और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा) :

परंतु, जहाँ बाजार समिति जनजातिय क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ, अनुसूचित जनजातियों में का एक व्यक्ति, यथा उपरोक्त निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजातियों में के व्यक्ति के निर्वाचन के स्थान में, निर्वाचित किया जायेगा ; " ;

(तीन) उप-खण्ड (दो), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) खण्ड (ग) और उसका परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा ;

(ग) खण्ड (घ), अपमार्जित किया जायेगा ;

(घ) खण्ड (ङ), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ङ) निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. १७।

" परंतु, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, प्रारंभण के ऐसे दिनांक के तुरन्त पश्चात्, संचालित होनेवाले निर्वाचन में, न्यूनतम १० आर भूमि धारण करते हो और जो राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक पर इक्कीस वर्ष की आयु से कम न हो ऐसे बाजार क्षेत्र में रहनेवाले सभी कृषक, अन्यथा मतदान के लिए अपात्र न हो तो मतदान के लिए पात्र होंगे "।

(२) उप-धारा (१-क) अपमार्जित की जायेगी ;

(३) उप-धारा (१-ख) के,—

(क) खण्ड (ग) में,—

(एक) उप-खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) प्रभागीय बाजार समिति के बाजार क्षेत्र में रहनेवाले अर्ह मतदाताओं (कृषक जो न्यूनतम १० आर भूमि धारण करता हो और जो राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक पर अठारह वर्ष की आयु से कम न हों और जिसने निर्वाचन की घोषणा के दिनांक के पूर्व पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में कम-से-कम तीन बार अपनी अधिसूचित कृषि उपज विक्रय की हैं) निर्वाचित किये गये कृषकों के पंद्रह प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला होगी, एक अन्य पिछडे वर्गों का व्यक्ति होगा, एक निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति का व्यक्ति होगा) या खानाबदोश जनजाति और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा) ।

परंतु, जहाँ प्रभागीय बाजार समिति जनजातिय क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ, अनुसूचित जनजातियों में का एक व्यक्ति, यथा उपरोक्त निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजातियों में के व्यक्ति के निर्वाचन के स्थान पर, निर्वाचित किया जायेगा ; " ;

(दो) उप-खण्ड (दो) के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा :—

" (दो) प्रादेशिक बाजार समिति के बाजार क्षेत्र में रहनेवाले अर्ह मतदाताओं (कृषक जो न्यूनतम १० आर भूमि धारण करता हैं और जो राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक पर अठारह वर्ष की आयु से कम न हों और जिसनें निर्वाचन की घोषणा के पूर्व पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में, कम-से-कम तीन बार अपनी अधिसूचित कृषि उपज विक्रय की हैं) द्वारा निर्वाचित किये गये कृषकों के पंद्रह प्रतिनिधि (जिनमें से एक महिला होगी, एक अन्य पिछडे वर्गों का व्यक्ति होगा, एक निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति का व्यक्ति होगा और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा) :

परंतु, जहाँ प्रादेशिक बाजार समिति, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, वहाँ, अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, यथा उपरोक्त निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजातियों में के व्यक्ति के निर्वाचन स्थान के पर, निर्वाचित किया जायेगा ; और " ;

(तीन) उप-खण्ड (पाँच), अपमार्जित किया जायेगा ;

(चार) उप-खण्ड (छह), अपमार्जित किया जायेगा ;

(पाँच) उप-खण्ड (छह-क), अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) खण्ड (घ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) व्यक्ति, जो खण्ड (ग) के उप-खण्ड (सात) के अधीन बाजार समिति का सदस्य हैं, को, समिति की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु, समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ; " ;

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १४ की,—

(१) उप-धारा (२), अपमार्जित की जायेगी ;

(२) उप-धारा (४) के,—

(क) खण्ड (क) में, " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार, जिसने निर्वाचन संचालित किया है " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार, जिसने निर्वाचन संचालित किया है " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ग) में, " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार, जिसने निर्वाचन संचालित किया है, " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १४क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १४क की,—

(१) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (क) के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) बाजार समितियों के मतदाताओं की सूची तैयार करने और सभी निर्वाचनों के संचालन अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में निहित होगा ; और " ;

(ख) खण्ड (ख) में,—

(एक) " अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण " शब्दों से शुरु होनेवाले और " कलक्टर में निहित होगा " शब्दों से समाप्त होनेवाला भाग, अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) " पाँच प्रतिशत " शब्दों के स्थान में, " दस प्रतिशत " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " दस हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक लाख रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (३) में, " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार, " शब्द, दोनों स्थानों पर जहाँ कही वे आए हों, के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (४) में, " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार, " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(४) उप-धारा (५) में,—

(क) " कलक्टर या, यथास्थिति, जिला उप-रजिस्ट्रार " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " कलक्टर " शब्दों के स्थान में, " राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(५) उप-धारा (६) अपमार्जित की जायेगी।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ९।

६. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्सस्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषि-उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), बाजार क्षेत्रों में कृषक और कतिपय अन्य उपज के विपणन और राज्य में, उसके लिये स्थापित निजी बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजारों समेत, बाजारों के विकास और विनियमन करने और ऐसे बाजारों के संबंध में या बाजारों से संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य करने के लिये गठित की जानेवाली बाजार समितियों को शक्ति प्रदान करने के लिये और बाजार समिति के प्रयोजनों के लिये, बाजार निधि स्थापित करने और उपरोक्त मामलों से संबंधित प्रयोजनों के लिये, उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया हैं।

२. " बाजार समिति के गठन " से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा १३, बाजार समिति पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों या प्रवर्गों से प्रतिनिधित्व समर्थ बनाने के लिये विभिन्न अवसरों पर संशोधन किया गया हैं। वर्तमान में, बाजार समितियों के २१ निदेशक बोर्ड में, कृषि साख संस्था और बहुद्देशिय सहकारी संस्था की प्रबंधन समितियों के सदस्यों और **ग्राम पंचायत** के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। अन्य सदस्य व्यापारियों, कमीशन अभिकर्ता, **हमाल** और तोलारियों में से निर्वाचित हैं। शेष सदस्य सरकार से नामित व्यक्तियाँ हैं।

३. बाजार समिति पर किसानों के अधिकतम प्रतिनिधित्व की सुनिश्चिति करने के उद्देश्य से, उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधन कार्यान्वित करना इष्टकर था।

४. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ ,—

(एक) बाजार समितियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में रहनेवाले, न्यूनतम १० आर भूमि धारण करने वाले और जिसने, संबंधित कृषि उपज विपणन समिति में पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में कम से कम तीन बार अपनी कृषि उपज विक्रय की हैं, ऐसे सभी कृषकों को, कृषि उपज विपणन समिति के निदेशकों को सीधे निर्वाचित करने का अधिकार देना;

(दो) सरकार द्वारा प्रतिनिधियों के नामनिर्देशन का उपबंध अपमार्जित करना।

५. किसानों को, उनके कृषक उपज का विक्रय करने के लिये और उसके बदले में उचित और युक्ति-युक्त कीमत प्राप्त करने के लिये एक मंच के रुप में कृषि उपज विपणन समितियाँ स्थापित की गई हैं। प्रस्तावित संशोधनों के परिचय से, किसान, जो बाजार समितियों के वास्तविक आधार हैं और जिसे कृषि उपज के विपणन में आनेवाले अवरोधों और कठिनाईयों का ज्ञान हैं, का अधिकतम प्रतिनिधित्व होगा और बाजार समितियों के कार्यान्वयन में व्यावहारिक और प्रभावी मार्गदर्शन देने में वह सक्षम होगा।

६. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चूका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र.९), १३ जून २०१७ को प्रख्यापित किया गया था।

७. तत्पश्चात्, २४ जुलाई २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियम) (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि.स.विधेयक क्र. ४१ सन् २०१७), ८ अगस्त, २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ११ अगस्त, २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नाहीं हो सका था।

८. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् ३ सितम्बर, २०१७ को प्रवृत्त होने से परिविरत होगा। इसलिये, नवीन अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा उक्त अध्यादेश के उपबंधों को जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है।

९. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.९ सन् २०१७ के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ३० अगस्त २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

विजय कुमार,
शासन सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.